

Papers Laid on the Table by Ministers/Members

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2023 जो 6 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.487(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9842/17/23]

- (2) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2023 जो 13 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.502(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9843/17/23]

? (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, मैं मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

पंद्रहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. विवरण संख्या 34 | सातवां सत्र, 2011 |
|--------------------|-------------------|

[Placed in Library, See No. LT 9844/17/23]

सोलहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 2. विवरण संख्या 31 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 3. विवरण संख्या 31 | चौथा सत्र, 2015 |
| 4. विवरण संख्या 27 | पांचवां सत्र, 2015 |

- | | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 5. | विवरण संख्या 27 | नौवां सत्र, 2016 |
| 6. | विवरण संख्या 24 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 7. | विवरण संख्या 20 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |
| 8. | विवरण संख्या 16 | सत्रहवां सत्र, 2019 |

[Placed in Library, See No. LT 9845/17/23]

सत्रहवीं लोक सभा

- | | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 9. | विवरण संख्या 19 | पहला सत्र, 2019 |
| 10. | विवरण संख्या 15 | दूसरा सत्र, 2019 |

[Placed in Library, See No. LT 9846/17/23]

- | | | |
|-----|-----------------|------------------|
| 11. | विवरण संख्या 14 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 12. | विवरण संख्या 14 | चौथा सत्र, 2020 |

[Placed in Library, See No. LT 9847/17/23]

- | | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| 13. | विवरण संख्या 14 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 14. | विवरण संख्या 13 | छठा सत्र, 2021 |
| 15. | विवरण संख्या 7 | सातवां सत्र, 2021 |

[Placed in Library, See No. LT 9848/17/23]

- | | | |
|-----|----------------|----------------------|
| 16. | विवरण संख्या 7 | आठवां सत्र, 2022 |
| 17. | विवरण संख्या 4 | नौवां सत्र, 2022 |
| 18. | विवरण संख्या 2 | दसवां सत्र, 2022 |
| 19. | विवरण संख्या 2 | ग्यारहवां सत्र, 2023 |

[Placed in Library, See No. LT 9849/17/23]

? (व्यवधान)

14.02 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप सब अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाइए और आप भी अपनी सीट पर बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): सभापति महोदय, मैं विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) संशोधन (संशोधन) नियम, 2023 जो 24 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 214(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9850/17/23]

- (2) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 5 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9851/17/23]

- (3) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 456(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9852/17/23]

- (4) विधिक मापविज्ञान (पैकबंद वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2023 जो 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9853/17/23]

? (व्यवधान)

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2023 जो 22 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) का.आ.2868(अ) जो 1 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए रेल दावा अधिकरण की ई-रेल दावा अधिकरण प्रणाली पर मुकदमेबाजों अथवा आवेदनकर्ताओं अथवा दावाकर्ताओं अथवा प्रतिनिधियों अथवा पीड़ितों के ?जी हों ? अथवा?जी नहीं ?अधिप्रमाणन अथवा ई-नो योर कस्टमर तथा रेल दावा अधिकरण के अन्य एकीकृत अनुप्रयोगों अथवा समाधानों सहित सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन की अनुमति को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9854/17/23]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर रेलवे साधारण (संशोधन) नियम, 2023 जो 3 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.264(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (संशोधन) नियम, 2023 जो 21 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.526(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (चालित लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो 25 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.535(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 9855/17/23]

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.2184(अ), जो 16 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल अधिनियम, 1989 ? कतिपय मदों में रेल संरक्षा आयुक्त की संस्वीकृति प्रदान करने से छूट को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9856/17/23]

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, आप सब अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए। सदन को चलाने दीजिए। वे भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाइए। आप अपने स्थान पर चले जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह कोई तरीका नहीं है। पूरा देश हमें देख रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

? (व्यवधान)

14.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 3, 2023/Sravana 12, 1945 (Saka).
